

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 498 / 2011 / पाली.

2. अपील संख्या – 499 / 2011 / पाली.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, पाली.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नीलकण्ठ क्रशिंग कम्पनी, रेवदर, सिरौही.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


दिनांक : 23 / 09 / 2016


निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 57 व 58 / आरवेट / सिरौही / 09-10 में पारित किये गये पृथक-पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 14.10.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007-08 व 2008-09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25(1) व 61 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेशों दिनांक 01.07.2009 को अपास्त किया है। जिन्हें अपीलार्थी राजस्व द्वारा इन अपीलों में विवादित किया गया है।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 05.02.2009 को किया जाने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा 'स्टोन ग्रेट' का विक्रय 12.5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया गया है, जबकि उक्त माल पर रूपये 20/- प्रति टन की दर से करदेयता बनती है। इस बाबत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा


23/09/16


23/09/2016 लगातार.....2

प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किन्तु प्रत्यर्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए कर निर्धारण वर्ष 2007-08 व 2008-09 के लिये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.07.2009 को पारित करते हुए, पूर्व में जमा कर का समायोजन देते हुए अन्तर कर, ब्याज एवं करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। साथ ही कर निर्धारण वर्ष 2007-08 में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रीत डम्पर्स, बॉडी व टायर्स की खरीद पर चुकाये गये कर का आई.टी.सी. क्लेम किया गया, इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में खरीदे गये टायर्स पर चुकाये गये कर का आई.टी.सी. क्लेम किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त दोनों वर्षों में उक्त माल की खरीद पर क्लेम की गयी आई.टी.सी. को रिवर्स करते हुए कर एवं धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	अन्तर कर	ब्याज	शास्ति	रिवर्स टैक्स	रिवर्स टैक्स की शास्ति	योग
498/2011	2007-08	13,495	2,430	26,990	2,14,289	4,28,578	6,85,782
499/2011	2008-09	24,450	2,290	50,900	2,778	5,556	86,974

4. प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.10.2010 से अपीलें स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधियों में ग्रीट का विक्रय किया गया है, जिस पर अधिसूचना दिनांक 13.9.2006 की प्रविष्टि संख्या 5 के अनुसार रूपये 20/- प्रति टन के अनुसार करदेयता बनती है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रूपये 20/- प्रति टन अनुसार करारोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अग्रिम कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानानुसार डम्पर्स, बॉडी व टायर्स पर चुकाये गये कर का आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी. रिवर्स किये जाने में भी कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का समुचित विश्लेषण किये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Am. S. S.
23/09/16

Am. S. S.
23/09/16

6. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर एकतरफा आदेश पारित किये गये हैं, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने एवं कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 में सभी प्रकार के स्टोन, ग्रेट व गिट्टी को एक ही श्रेणी में मानते हुए 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। हस्तगत प्रकरणों में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के रुपये 20/- प्रति टन अनुसार करारोपण किये जाने में एवं तदनुसार ब्याज व शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये डम्पर्स, बॉडी व टायर्स पूंजीगत माल की श्रेणी में आने के कारण इनके क्रय पर चुकाये गये कर का आई.टी.सी. अनुज्ञेय है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी. क्लेम को अस्वीकार करते हुए तदनुसार रिवर्स टैक्स व शास्ति का आरोपण भी अविधिक रूप से किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण कर निर्धारण वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 से सम्बन्धित हैं, जिनमें प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत 'स्टोन ग्रेट' पर करदेयता का बिन्दु विवादित है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-84 दिनांक 11.9.2006 एवं क्रमांक एफ.12(84)वित्त/कर/2009-19 दिनांक 8.7.2009 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

S.No. 2134 : F.12(63)FD/Tax/2005-84 dated 13.9.2006

S.O. 190.-In exercise of the powers conferred by S.6(1), Raj. VAT Act, 2003, the State Govt. hereby provides that notwithstanding anything contained in any notfn issued earlier under section 4 of the said Act, **with immediate effect, the rate of tax payable**, in respect of the goods specified in Column No. 2 of the Lists-A and B appended hereto, shall be as shown against each in Column No. 3 thereof; namely:-

Amalendu
23/09/16

Amalendu
23/09/16 लगातार.....4

LIST - A
TAX PAYABLE ON WEIGHT BASIS

S. No.	Description of the goods	Tax payable No. per ton
1	2	3
1.	Bajari including reta: (a) Chambal, Banas, Mahi, Khari, Kharka (b) Other local sources in exclusion of (a),- (i) Districts - Ajmer, Kota, Bundi, Jhalawar, Baran and Alwar (ii) Sirohi, Jalore, Pali, Barmer, Jodhpur and other districts	Rs. 18/- Rs. 12/- Rs. 6/-
2.	Building Stone, excluding all varieties of marble and granite:- (a) Districts Dholpur, Karauli, Tehsil Bayana of Bharatpur district -Block -Rubble (b) District Jodhpur -Block -Rubble (c) District Jaisalmer -Block -Rubble (d) Districts Bhilwara, Kota, Bundi, Chittorgarh & Jhalawar -Block -Rubble (e) District Baran -Rubble (f) Districts Jaipur, Dausa, Sawai Madhopur, Sikar and Jhunjhunu -Rubble (g) Tehsil Raipur of Pali District -Rubble (h) Other districts/Tehsils except as mentioned in clauses (a) to (g) -Block -Rubble	Rs. 180/- Rs. 10/- Rs. 40/- Rs. 10/- Rs. 60/- Rs. 10/- Rs. 90/- Rs. 10/- Rs. 10/- Rs. 12/- Rs. 3/- Rs. 20/- Rs. 8/-
3.	Farshi/Flooring stone, excluding (i) polished stone and (ii) all varieties of Kota Stone, marble & granite: (a) Districts Bhilwara, Bundi, Kota and Jhalawar (b) Districts - Karauli, Dholpur (c) District Chittorgarh (d) Other than the above districts	Rs. 90/- Rs. 70/- Rs. 50/- Rs. 40/-
4.	Patti/Roof slab, Aslet: (a) Districts Bhilwara, Bundi, Kota and Jhalawar (b) District Chittorgarh (c) District Jodhpur - Aslet (d) Districts Alwar, Dholpur & Karauli (e) Tehsil Raipur of Pali District (d) All Districts/Tehsils except as mentioned in Clauses (a) to (e)	Rs. 90/- Rs. 50/- Rs. 95/- Rs. 70/- Rs. 20/- Rs. 42/-
5.	Grit	Rs. 20/-
6.	Ballast including gitti and kankari : (a) Tehsil Raipur of Pali District (b) All Districts/Tehsils except as mentioned in Clause (a)	Rs. 3/- Rs. 12.50
7.	Morram	Rs. 8/-

LIST - B
TAX PAYABLE ON UNIT BASIS

S. No.	Description of the goods	Tax payable per thousand unit
1	2	3
1.	Bricks	Rs. 50/-

S.No. V394 : No. F.12(84)FD/Tax/2009-18 dated 8.7.2009

S.O.103.- In exercise of the powers conferred by S.6(1), Raj. VAT Act, 2003, and in supersession of all the notifications issued in this behalf the State Govt. hereby provides that notwithstanding anything contained in any notfn issued earlier under section 4 of the said Act, with immediate effect, the rate of tax payable, in respect of the goods specified in Column No. 2 of the Lists-A and B appended hereto, shall be as shown against each item in Column No. 3 thereof; namely:-

[Handwritten Signature]
23/09/16

[Handwritten Signature]
23/09/16

LIST - A
TAX PAYABLE ON WEIGHT BASIS

S. No.	Description of the goods	Tax payable No. per ton
1	2	3
1.	Bajari including reta: (a) Chambal, Banas, Mahi, Khari, Kharka (b) Other local sources in exclusion of (a),- (i) Districts - Ajmer, Kota, Bundi, Jhalawar, Baran and Alwar (ii) Sirohi, Jalore, Pali, Barmer, Jodhpur and other districts	Rs. 18/- Rs. 12/- Rs. 6/-
2.	Building Stone, excluding all varieties of marble and granite:- (a) Districts Dholpur, Karauli, Tehsil Bayana of Bharatpur district (b) District Jodhpur (c) District Jaisalmer (d) Districts Bhilwara, Kota, Bundi, Chittorgarh & Jhalawar (e) District Baran (f) Districts Jaipur, Dausa, Sawai Madhopur, Sikar and Jhunjhunu (g) Tehsil Raipur of Pali District (h) All districts/Tehsils except as mentioned in clauses (a) to (g)	Block : Rs. 122/- Rubble : Rs. 7/- Block : Rs. 27/- Rubble : Rs. 7/- Block : Rs. 41/- Rubble : Rs. 7/- Block : Rs. 61/- Rubble : Rs. 7/- Rubble : Rs. 7/- Rubble : Rs. 8/- Rubble : Rs. 2/- Block : Rs. 14/- Rubble : Rs. 5/-
3.	Farshi/Flooring stone, excluding (i) polished stone and (ii) all varieties of Kota Stone, marble & granite: (a) Districts Bhilwara, Bundi, Kota and Jhalawar (b) Districts - Karauli, Dholpur (c) District Chittorgarh (d) Other than the above districts	Rs. 61/- Rs. 48/- Rs. 34/- Rs. 27/-
4.	Patti/Roof slab, Aslet: (a) Districts Bhilwara, Bundi, Kota and Jhalawar (b) District Chittorgarh (c) District Jodhpur - Aslet (d) Districts Alwar, Dholpur & Karauli (e) Tehsil Raipur of Pali District (d) All Districts/Tehsils except as mentioned in Clauses (a) to (e)	Rs. 61/- Rs. 34/- Rs. 65/- Rs. 48/- Rs. 14/- Rs. 29/-
5.	Grit	Rs. 14/-
6.	Ballast including gitti and kankari : (a) Tehsil Raipur of Pali District (b) All Districts/Tehsils except as mentioned in Clause (a)	Rs. 2/- Rs. 8.50
7.	Morram	Rs. 5/-

LIST - B
TAX PAYABLE ON UNIT BASIS

S. No.	Description of the goods	Tax payable per thousand unit
1	2	3
1.	Bricks	Rs. 50/-

Amrinder
23/09/16

Amrinder
23/09/2016 लगातार.....6

8. उक्त अधिसूचनायें Notwithstanding से प्रारम्भ है। ऐसी स्थिति में कर दर के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचनाओं में विहित दर से कर की देयता बनती है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **State of Bihar Vs. Bihar M.S.E.S.KK. Mahasangh (2005) A.I.R. SC 1605** में Non-obstante का निर्वचन करते हुए व्यवस्था दी गयी है कि ".....is generally appended to a section with a view to give the enacting part of the section in case of conflict an overriding effect over the provision in the same or other Act mentioned in the non-obstante clause."


9. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.09.2006 के द्वारा रुपये 20/- प्रति टन की दर से करदेयता का निर्धारण किया गया है तथा अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 के द्वारा रुपये 14/- प्रति टन की दर से करदेयता का निर्धारण किया गया है। अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 कर निर्धारण वर्ष 2009-10 पर लागू होती है, अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरणों पर लागू नहीं होती है। कर निर्धारण वर्ष 2007-08 व 2008-09 के प्रकरणों पर अधिसूचना दिनांक 13.09.2006 लागू होती है। ऐसी स्थिति में आलौच्य अवधियों के दौरान व्यवहारी द्वारा बिक्रीत ग्रिट पर रुपये 20/- प्रति टन की दर से करदेयता थी, प्रत्यर्थी द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।


10. प्रकरणों में द्वितीय बिन्दु डम्पर्स, बॉडी एवं टायर्स की खरीद पर चुकाये गये कर के आई.टी.सी. एवं इस पर शास्ति का बिन्दु विवादित है। इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 18 एवं धारा 61(2)(बी) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

18. Input Tax Credit. -

(1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

- sale within the State of Rajasthan; or
- sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- sale in the course of export outside the territory of India; or
- being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or


23/09/16


लगातार.....7
23/09/16

- (e) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.
- (2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.
- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases –
- (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
- (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or
- (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
- (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or
- (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.
- (4) The State Government may notify cases in which partial input tax credit may be allowed subject to such conditions, as may be notified by it.

[Handwritten Signature]
23/09/16

[Handwritten Signature]
23/09/16 बुगाकार.....8

61. Penalty for avoidance or evasion of tax. -

(1)

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any dealer has availed input tax credit wrongly, the assessing authority or any other officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner shall reverse such credit of input tax and shall impose on such dealer -

(a) in case such credit is availed on the basis of false or forged VAT invoices, a penalty equal to four times of the amount of such wrong credit; and

(b) in other cases, a penalty equal to double the amount of such wrong credit.

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त Divisional Level Committee v. Sahu Crushing Industries. (1998) 8 SCC 435 में "Shall" शब्द की व्याख्या करते हुए निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"**Shall.** In the context of the circumstances and the statutory position, the court observed that there was no reason as to why the word 'shall' should not be given the meaning it ordinarily carries because no discrimination of the type envisaged by the High Court. Even if the provision was taken to be directory and if the State refused to grant the benefit for the period during which the unit was unregistered on the assumption that the High Court's view is correct, one cannot say that the discretion was wrongly used."

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (1989) 4 SCC 671 : AIR 1989 SC 2206 - Owners and Parties Interested in M.V. 'Vali Pero' v. Fernando Lopez and others में निम्न निर्णय दिया गया है :-

"It is settled that this is not an invariable rule and even though the word 'shall' is ordinarily mandatory but in the context or if the intention is otherwise it may be construed to be merely directory. In short, the construction ultimately depends on the provision itself keeping in view the intendment of the enactment and the context in which the word 'shall' has been used. It cannot, therefore, be doubted that the word 'shall' used in the expression has to be given the meaning keeping in view the intention of the legislature, the purpose of the enactment and the consequence which would follow from construing it as mandatory or directory. If the word 'shall' used in this expression is construed as mandatory, non-compliance of which of which nullifies the deposition, drastic consequence of miscarriage of justice would ensue even where omission of the witness' signature

Amal Kumar
23/09/16


लगातार.....9
31/09/2016


is by inadvertence and correctness of the deposition as well as its authenticity is undisputed. On the other hand, if the word 'shall used in this expression is treated as directory, the court will have power to prevent miscarriage of justice where the omission does not cause any prejudice and the defect is only technical."

12. उक्त विधिक प्रावधानों से यह कतई स्पष्ट नहीं है कि व्यवहारी द्वारा क्रशिंग एवं खनन कार्य हेतु उपयोग में लिये गये डम्पर्स एवं इसके पार्ट्स की खरीद पर चुकाये गये कर का आई.टी.सी. अनुज्ञेय होगा। डम्पर्स को कॅपिटल गुड्स की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर आरोपित रिवर्स टैक्स का आरोपण पूर्णतया उचित है। इसी प्रकार व्यवहारी द्वारा डम्पर्स, बॉडी एवं टायर्स की खरीद पर आई.टी.सी. क्लेम किये जाने में स्पष्ट रूप से करापवंचन का प्रयास किया गया है, अतः गलत रूप से क्लेम की गई आई.टी.सी. पर वेट अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति का आरोपण भी उचित प्रकार से किया गया है। इस बिन्दु अपीलार्थी राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

13. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश अपास्त किये जाते हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।


23/09/16
(राजीव चौधरी)
सदस्य


23/05/2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य